न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक), झुंझुनूं जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: **सुप्रिया** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 55 / 2024

फुलाराम – बनाम – **मदनलाल वगै0**

प्रार्थना पत्र बाबत हुक्म अदुली

एडवोकेट प्रार्थी :– श्री विकास भाकर
एडवोकेट अप्रार्थी :– श्री विक्रम सिंह

आदेश

दिनांक 08.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना इस आशय से पेश गया है कि :– प्रार्थी ने दिनांक 19.04.2021 को माननीय न्यायालय हाजा में वादपत्र पेश किया था तथा उसी दिन न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी इस आशय का पेश कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3009, 3010, 4184 / 3010, 4185 / 3010 ग्राम भोड़की का बेचान नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण नहीं करें, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें अप्रार्थीगण ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने परिवारजन, रिश्तेदार, नौकर, चाकर, एजेन्ट, मुख्त्यार, मजदुर आदि से करावें तथा दौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि का बेचान नहीं करें, निर्माण नहीं करने के आदेश दिनांक 19.04.2021 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की अवहेलना कर उक्त भूमि की में दिनांक 03.07.2023 को ट्युबवेल का निर्माण करवाकर उक्त भूमि की भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया है तथा जबरन प्रार्थी के हिस्से में पत्थर डाल दिये तथा पोल गाड़ कर तारबन्दी बंद कर दी तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ट्युबवेल निर्माण की कोशिश करते ही प्रार्थी ने दिनांक 03.07.2023 को समय करीब 3:00 बजे एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4 को लिखित में पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 ने मूल प्रार्थना पत्र ही पटवारी हल्का को भेजकर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 4 ने पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत् अवगत करवाया गया तो अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थी को धमका कर अपने कार्यालय से निकाल दिया। जिस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के समक्ष दिनांक 04.07.2023 को पेश किया तथा इसी दिन एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् एस.पी. साहब झुंझुनूं के समक्ष पेश किया लेकिन आज तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि उक्त अप्रार्थीगण को पूर्व में भी पाबन्द किया जा चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 4 राजनैतिक दबाव के कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे पूर्व भी अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की सरेआम अवहेलना की जिसके संबंध में हुक्त उदुली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उक्त अप्रार्थीगण आये दिन माननीय न्यायालय के आदेश की जानबुझकर अवहेलना कर रहे हैं। अगर इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना होती रही तो जनता में न्याय पालिका के प्रति असंतोष पैदा होगा। इसलिए उक्त लोगों के खिलाफ़ यह प्रार्थना पत्र हुक्मउदुली पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की जानबुझकर अवहेलना किये जाने के कारण इन्हें तीन माह के सिविल कारावास भिजवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट श्री विक्रम सिंह ने वकालतनामा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया एवं कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं की गई है, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात में आवेदक के हिस्से की भूमि में पत्थर डाले गये हैं, ना ही पोल गाड़कर तारबन्दी की गई है ना ही आवेदक के हिस्से की भूमि में ट्युबवेल बनाया गया है। अनावेदकगण द्वारा आवेदक के हिस्से की भूमि में आवेदक के उपयोग उपभोग में भी किसी प्रकार कोई बाधा कारित नहीं की है। आवेदक ने अनावेदकगण पर गलत आक्षेप लगाये हैं। इसलिए आवेदक अनावेदकगण को दण्डित करवाने का अधिकारी नहीं है। आवेदक ने गलत तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज हाने योग्य है। अन्त में अनावेदकगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र हुक्म अदुली श्रीमान् जी समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

जवाब देही पूर्ण होने पर साक्ष्य के रूप में फुलाराम व रूकमणी देवी ने शपथ पत्र पेश किए। दोनो साक्षियों के बयान गवाह कर पत्रावली में शामिल किए गए। जबावदेही व साक्ष्य पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2021 की जानबुझकर अवहेलना किये जाने के कारण इन्हें तीन माह के सिविल कारावास भिजवाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जबाव में वकील अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की गई थी कि अनावेदकगण ग्राम भोड़की के खसरा नम्बर 3009, 3010, 4184/3010, 4185/3010 कुल किता 4 कुल रकबा 2.7500 है0 में आवेदक के हिस्से में कोई निर्माण नहीं करें। आवेदक फुलाराम का रकबा 2.7500 है0 में हिस्सा केवल 1/10 अर्थात् रकबा 0.2750 है0 है। अवशेष भूमि पर अप्रार्थीगण मकानात बनाकर काबिज है। अनावेदकगण ने किसी प्रकार का मौके पर निर्माण नहीं किया क्योंकि पूर्व में निर्माण पुराना है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पक्षकार नहीं है, ना ही विद्युत लाईन बाबत् किसी प्रकार का स्थगन रहा है। तारबन्दी एवं मेडबन्दी निर्माण की परिभाषा में नहीं आता है पुरानी तारबंदी को दुरूस्त किया है तथा तारबन्दी बाबत् किसी प्रकार का स्थगन मौके पर नहीं है। ट्युबवेल आवश्यक सुधार एवं आवश्यक सेवा में आता है इसलिए पानी मुलभुत सुविधा होती है तथा किसी स्थगन की आड़ लेकर मुलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। पूर्व में बने ट्युबवेल को आधार बनाकर अवमानना का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। आवेदक के अपने साक्ष्य में भी किसी प्रकार की अवमानना साबित नहीं होती है। अन्त में लिखित बहस पेश कर वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने किसी भी कानून की अवहेलना नहीं की है। गलत आधार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबुतों एवं दस्तावेजात् के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2021 की पालना अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत् हुक्म उदुली स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

हुक्म उदुली पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 9/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनू